

## शक्ति(SHAKTI) नीति

हाल ही में वदियुत मंत्रालय ने शक्ति(भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना/ Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India/SHAKTI) नीति के B(v) के तहत वित्त, स्वामित्व और संचालन (Finance, Own and Operate-FOO) के आधार पर पाँच साल के लिये प्रतिस्पर्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल वदियुत की खरीद हेतु एक योजना शुरू की है।

### प्रमुख बडि

- योजना के तहत PFC कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिये बोलियाँ आमंत्रित की हैं।
  - PFC कंसल्टिंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को वदियुत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- कोयला मंत्रालय से इसके लिये लगभग 27 MTPA (मलियन टन प्रतिवर्ष) आवंटित करने का अनुरोध किया है।
- इस योजना से वदियुत की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

### शक्ति नीति:

- परिचय:
  - वदियुत मंत्रालय (MoP) ने 2017 में कोल नीति को मंजूरी दी, जिसे शक्ति(भारत में कोयला का दोहन और आवंटन पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन करने की योजना) के रूप में जाना जाता है।
  - इस नीति में उन वदियुत संयंत्रों को कोयला लिकेज प्रदान किया गए हैं जिनके पास कोयला नीलामी के माध्यम से धन प्राप्त करारों (FSA) की कमी है।
- उद्देश्य:
  - शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो।
  - यह योजना न केवल बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिये, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु भी फायदेमंद मानी जाती है, जिनके पास वदियुत कंपनियों द्वारा भारी ऋण चुकाया नहीं गया है।
  - इस योजना का उद्देश्य आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना भी है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/shakti-policy)